



आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड सतर्कता संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति

1.0 सतर्कता तंत्र के विषय में परिचय:

केन्द्रीय सरकार के भ्रष्टाचार-निरोधक उपाय निम्न द्वारा किये जाते हैं:

- (i) **प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग (एवीडी):** जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में है वह लोक सेवाओं में सतर्कता से संबंधित विनियमों पर कार्रवाई करता है।
- (ii) **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई):** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एसपीई स्कंध, लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 जिसके अंतर्गत अधिकारियों के मामले शामिल हैं, लोक सेवकों के विरुद्ध और सतर्कता दोष आरोपित लोक सेवकों द्वारा किए गए अन्य कदाचारों का अन्वेषण करता है।
- (iii) **सतर्कता इकाईयां :** भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम और अन्य स्वायत्त संगठन अर्थात् विभाग में सतर्कता इकाईयां ।
- (iv) **अनुशासनिक प्राधिकरण:** अनुशासनिक प्राधिकरण को अपने नियंत्रणाधीन लोक सेवकों के विरुद्ध अभिकथित या उनके द्वारा किए गए कदाचारों की जांच करने और उचित दंडात्मक कार्रवाई लेने का समग्र उत्तरदायित्व है। यह भी आवश्यक होगा कि उपयुक्त निवारक उपाय किए जाए ताकि वह अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर्मचारियों के कदाचार/अनाचार को रोक सके।
- (v) **केन्द्रीय सतर्कता आयोग:** केन्द्रीय सतर्कता आयोग सामान्य अधीक्षण एवं प्रशासन में सतर्कता के मामलों पर नियंत्रण एवं सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के निष्पादन हेतु शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करता है।

आईआरईएल में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सतर्कता संगठन के प्रमुख हैं जो सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरईएल को रिपोर्ट करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल को प्रत्येक यूनिट के सतर्कता अधिकारी एवं कार्पोरेट कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं सतर्कता अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.0 सामान्य विवरण:

2.1 शिकायतें:

आईआरईएल के अधिकारियों के विरुद्ध उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन करने के संबंध में पाई गई शिकायतों की पूछताछ के संचालन करने के लिए सतर्कता निदेशालय उत्तरदायी है जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप और/या सतर्कता दृष्टिकोण शामिल है। सतर्कता दृष्टिकोण में सरकारी पद का दुरुपयोग अवैध परितुष्टी की मांग एवं स्वीकृति, दुरुपयोग/जालसाज़ी या धोखाधड़ी के मामले, गंभीर और जानबूझकर लापरवाही, निर्धारित प्रणालियों एवं पद्धतियों का घोर उल्लंघन, विवेकाधिकार का लापरवाही से प्रयोग, किसी भी मामले के निपटान में अत्यधिक/अनुचित देरी आदि समाविष्ट है।

2.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश:

समय समय पर जारी किए गए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। शिकायत करने से पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पालन की जाने वाली शिकायत पर कार्रवाई करने की नीति को स्थिर रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। देर से शिकायत

पर कार्रवाई करने की अद्यतन नीति एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्रों के आधार पर आईआरईएल में शिकायतों को निपटने की नीति तैयार की गई है, जो नीचे पैरा 3.0 में दिया गया है।

3.0 आईआरईएल में शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति:

1. केवल ऐसी शिकायतें जो मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो और जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप, पक्षपात, अधिकार का दुरुपयोग/ अपप्रयोग अवैध तुष्टीकरण और/या जिसमें सतर्कता दृष्टिकोण शामिल हो, उनकी जांच आईआरईएल के सतर्कता निदेशालय द्वारा की जाएगी। (कृपया उपर्युक्त पैरा 2.1 देखें)
2. ऊपर उल्लिखित सभी शिकायतों को नीचे दिए गए संपर्क पते पर मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सतर्कता अधिकारी को संबोधित करके भेजा जा सकता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी
आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
1207, वीर सावरकर मार्ग
प्रभादेवी, मुंबई - 400 028
फैक्स सं.022 - 2438 5576
ई-मेल:cvo@irel.co.in

3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के कार्यालय में शिकायत दर्ज हो जाने पर उस मामले में आगे पत्राचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिकायतों का अन्वेषण किया जाता है और उनका तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जाता है।
4. चूंकि सतर्कता निदेशालय केवल भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करता है अतः मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल को की गई शिकायतों का केन्द्र बिन्दु शिकायतों का समाधान नहीं होना चाहिए।
5. आईआरईएल के कर्मचारियों द्वारा अभिकथित भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत विशेष रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल को सीधे संबोधित होनी चाहिए और मुख्य सतर्कता अधिकारी आईआरईएल को प्रतिलिपि के रूप में नहीं दी जानी चाहिए।
6. शिकायतों में तथ्यात्मक विवरण, सत्यापनीय तथ्य और सम्बद्ध मामले होने चाहिए। ये विवरण अस्पष्ट अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण सामान्य आरोपों वाले नहीं होने चाहिए।
7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अद्यतन परिपत्र सं.07-11-2014 दिनांक 25.11.2014 के अनुसार, अनाम/छद्मनाम की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतः शिकायतकर्ता को शिकायत करते समय अपना सही नाम, डाक पता एवं संपर्क विवरण देने की सलाह दी जाती है। यह शिकायतकर्ता से पुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
8. हस्ताक्षरों के अभाव में, अहस्ताक्षरित शिकायतों में कोई प्रामाणिकता नहीं होती है, अतः इसे वैसा ही माना जाएगा जैसे अनाम और छद्मनाम शिकायतों के लिए किए जाने वाले की तरह किसी भी कार्रवाई के बिना किसी कार्रवाई के फाइल कर दिया जाएगा।
9. ई-मेल द्वारा प्राप्त शिकायतों पर प्रेषक का डाक पता (मोबाइल/दूरभाष संख्या, यदि कोई हो तो) अवश्य दिया जाना चाहिए। डाक पते के बिना ई-मेल से प्राप्त शिकायतों को अनाम/छद्मनाम माना जाएगा तथा इन्हें किसी भी कार्रवाई के बिना फाइल कर दिया जाएगा।
10. उपर्युक्त मानदंडों को पूरा न करने वाली शिकायतों को या तो फाइल कर दिया जाएगा अथवा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।
11. शिकायतकर्ताओं को भी सलाह दी जाती है कि वे एक ही विषय पर बार-बार शिकायतें न भेजें।
12. यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत दुर्भावनापूर्ण, दुःखदायी या गलत साबित होती है, तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की जा सकती है: शिकायतकर्ता भारतीय दंड

संहिता की धारा 182 के अधीन कार्रवाई के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, यदि शिकायतकर्ता एक लोक सेवक हो, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अधीन वैकल्पिक या उचित कार्रवाई के अतिरिक्त विभागीय कार्रवाई के लिए पात्र होगा।

13. व्हिसल ब्लोअर शिकायतें:

लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाता संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के अंतर्गत व्हिसल ब्लोअर शिकायतों के रूप में प्राप्त/ फाइल की गई शिकायतों पर कार्रवाई :

क) जब कभी शिकायतकर्ता, वैध कारणों के लिए, शिकायत पर कार्रवाई करते समय यदि अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो वह लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाता संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) 2014 के अंतर्गत शिकायत कर सकता है।

ख) इस तरह की शिकायतों को सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग या नामित मनोनीत प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

ग) संयुक्त सचिव (ए एवं ए) एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के मुख्य सतर्कता अधिकारी परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी यूनिटों समेत आईआरईएल के लिए लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाता संरक्षण संकल्प के अंतर्गत फाइल की गई शिकायतों को प्राप्त करने के लिए नामित मनोनीत प्राधिकारी हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल, आईआरईएल के लिए व्हिसल ब्लोअर शिकायतों (लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाता संरक्षण संकल्प के अंतर्गत फाइल की गई शिकायतों) को प्राप्त करने के लिए मनोनीत प्राधिकारी नहीं है।

घ) आईआरईएल के लिए लोकहित प्रकटीकरण और सूचना दाता संरक्षण संकल्प की शिकायतों हेतु नामित प्राधिकारी का संपर्क विवरण:

संयुक्त सचिव (ए एवं ए)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
परमाणु ऊर्जा विभाग
अणुशक्ति भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग
मुंबई - 400 001, भारत
दूरभाष:022-2202 2816, फैक्स:022-2284 6213
ई-मेल:jssa@dae.gov.in

ड.) मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल(इंडिया)लिमिटेड द्वारा सीधे प्राप्त ऐसी किसी भी शिकायत को आदेश/

आवश्यक कार्रवाई के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के मनोनीत प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

सतर्कता अधिकारी प्र.का., आईआरईएल

उप महाप्रबंधक सतर्कता प्र.का,आईआरईएल

मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआरईएल